


जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, जिला-दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

कलेक्टर कैंपस, पुराना कलेक्टर भवन, जिला शिक्षा कार्यालय दन्तेवाड़ा

mis.dantewada@gmail.com



--: विज्ञापन :-

क्र. / 1910 / समग्र शिक्षा / समावेशी शिक्षा / 2023-24

दन्तेवाड़ा, दिनांक 26 / 12 / 2023

राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक / 1920 / समग्र शिक्षा / प्रा.-मा. / एफ-24 / 2023-24 / रायपुर दिनांक 21.07.2023 के तहत समावेशी शिक्षा के बेहतर क्रियांवयन हेतु स्वीकृत पदों पर अस्थाई नियुक्ति की जानी है। इस हेतु थैरेपिस्ट (स्पीच/फिजियो) एवं न्यू स्पेशल एजुकएटर के रिक्त पदों पर अस्थाई नियुक्ति हेतु Walk in Interview जिला शिक्षा कार्यालय दन्तेवाड़ा के कस्तूरबा सभा कक्ष में आयोजित किया जायेगा। पदों का विवरण, शैक्षणिक योग्यता एवं पदवार Walk in Interview की तिथि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	पद की संख्या	मासिक एकमुश्त वेतन/मानदेय	सेवा अवधि	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	Walk in Interview Date & Place
1	2	3	4	5	6	7
1	थैरेपिस्ट (स्पीच/फिजियो)	1 अनारक्षित मुक्त	20000 प्रतिमाह	06 माह के लिए	- फिजियोथैरेपिस्ट पद हेतु - 1. शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से बैचलर आफ फिजियोथैरेपी डिग्री कोर्स। 2. छ.ग. फिजियोथैरेपी परिषद् में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। 3. छ0ग0का मूल निवासी होना अनिवार्य - स्पीच थैरेपिस्ट पद हेतु :- 1. शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से बी.ए.एस.एल.पी. डिग्री कोर्स। 2. भारतीय पुर्नवास परिषद (RCI) में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। 3. छ0ग0का मूल निवासी होना अनिवार्य	10/01/2024 वॉक इन इन्टरव्यू स्थल कस्तूरबा कक्ष, जिला शिक्षा कार्यालय दन्तेवाड़ा
2	न्यू स्पेशल एजुकएटर विकासखण्ड दन्तेवाड़ा	1 अनारक्षित मुक्त	20000 प्रतिमाह	03 माह के लिए	स्नातकोत्तर के साथ बी.एड. (विशेष शिक्षा) अथवा बी.एड. (सामान्य) के साथ 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में। 3. छ0ग0का मूल निवासी होना अनिवार्य	11/01/2024 वॉक इन इन्टरव्यू स्थल कस्तूरबा कक्ष, जिला शिक्षा कार्यालय दन्तेवाड़ा
3	न्यू स्पेशल एजुकएटर विकासखण्ड गीदम	1 अनारक्षित मुक्त	20000 प्रतिमाह	03 माह के लिए		
4	न्यू स्पेशल एजुकएटर विकासखण्ड कुआकोण्डा	1 अनारक्षित मुक्त	20000 प्रतिमाह	03 माह के लिए		
5	न्यू स्पेशल एजुकएटर विकासखण्ड कटेकल्याण	1 अनारक्षित मुक्त	20000 प्रतिमाह	03 माह के लिए		

भर्ती हेतु आवश्यक निर्देश :-

- उम्मीदवारों को अनुबंध के आधार पर विशुद्ध रूप से अस्थाई एवं निर्धारित अवधि के लिए रखा जायेगा। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं करेगा।
- अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।
- चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जायेगा जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और बिना पूर्व सूचना के सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
- रिक्तियों की संख्या परिवर्तनीय है।
- रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

6. आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार होगा।
7. चयनित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात् नियत तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी, और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।
8. आवेदक द्वारा आवेदन कार्यालय द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में ही जमा करें आवेदन के साथ प्रमाण पत्रों की स्वयं द्वारा सत्यापित सत्य प्रतिलिपि संलग्न करे।
9. आवेदक पत्र में स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो चिपकाना अनिवार्य है।
10. यदि आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा।
11. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटि पूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और ना इन्हे पृथक से कोई सूचना दी जायेगी।
12. आवेदन के साथ 02 लिफाफा स्वयं का पता लिखा 10.00 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ संलग्न करना अनिवार्य है।
13. प्राप्त आवेदनों के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
14. कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक जिला दंतवाड़ा को विज्ञापन वापस लेने प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार होगा।
15. प्रमाण पत्र सत्यापन में उपस्थित होने हेतु किसी प्रकार का टी०ए०/डी०ए० देय नहीं होगा।
16. न्यू स्पेशल एजुकेंटर पद के लिए 01 से अधिक विकासखण्ड के लिए आवेदन करने हेतु पृथक-पृथक आवेदन जमा करना होगा।
17. जन्मतिथि के लिए 10वीं का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
18. उपरोक्त पदों के लिए निर्धारित योग्यता रखने वाले ही आवेदन/वाँक इन इन्टरव्यू में उपस्थित होंगे।
19. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, जिला द.ब.दंतवाड़ा के सूचना पटल पर एवं www.dantewada.gov-in अवलोकन की जा सकती है।

वाँक इन इन्टरव्यू -

1. थैरेपिस्ट पद हेतु दिनांक 10/01/2024 को समय प्रातः 11.00 बजे से 1.00 बजे तक पंजीयन एवं दस्तावेज सत्यापन किया जायेगा। साक्षात्कार का समय 4.00 बजे से.....
2. न्यू स्पेशल एजुकेंटर पद हेतु दिनांक 11/01/2024 को समय प्रातः 11.00 बजे से 1.00 बजे तक पंजीयन एवं दस्तावेज सत्यापन किया जायेगा। साक्षात्कार का समय 4.00 बजे से.....

चयन प्रक्रिया-

1. थैरेपिस्ट/न्यू स्पेशल एजुकेंटर उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों का 80% अंक एवं साक्षात्कार का अंक अधिकतम 20 अंक इस प्रकार कुल 100 अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जावेगा।
2. थैरेपिस्ट/न्यू स्पेशल एजुकेंटर के नियुक्ति हेतु छ०ग० राज्य के स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।

थैरेपिस्ट का कार्य दायित्व -

- विकासखण्ड में चिन्हांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची एवं केस स्टडी।
- विकासखण्ड संसाधन स्रोत केन्द्र में सुनियोजित तरीके से संधारित करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को थैरेपी प्रदान करना।
- विकासखण्ड संसाधन स्रोत केन्द्रों में थैरेपी के लिए प्रयुक्त सहायक सामग्री एवं उपकरणों के उपयोग का संपूर्ण दायित्व वहन करना।
- संसाधन केन्द्रों में थैरेपी के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बी.आर.पी. के सहयोग से संसाधन स्रोत केन्द्रों तक पहुंच बनाने में सहायता करना / पालकों के साथ काउंसलिंग करना, अभिभावकों को प्रेरित व मार्गदर्शन प्रदान करना।
- आवश्यकतानुसार अन्य विकासखण्डों में भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को थैरेपी प्रदान करना राज्य/जिला/विकासखण्ड स्तर अधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों का निर्वहन।

0

स्पेशल एजुकएटर का कार्य दायित्व :-

- विकासखण्ड एवं संकुलवार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का दिव्यांगतावार डाटा रखना।
- चिन्हांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्कूल जाने के लिये तैयार करना तथा उनका संपूर्ण रिकार्ड एकत्र कर रखना।
- इन बच्चों के पालकों को समय-समय पर बैठक लेकर उन्मुखीकृत करना तथा बच्चों को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना जैसे- छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांगता भत्ता, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, एस्कार्ट -ट्रान्सपोर्ट रीडर एलाउन्स, बालिका शिष्यावृत्ति आदि।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण-प्रशिक्षण में सहयोग हेतु सामान्य शिक्षकों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित करना।
- विभिन्न विभागों व एनजीओ से संपर्क कर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण व अन्य लाभ की व्यवस्था कराना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना (IEP) तैयार करने में शिक्षक का सहयोग करना, जिससे बच्चे में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसका मूल्यांकन कर सके।
- शालाओं में पियर्स ग्रुप (सहपाठी समूह) तैयार करना जिससे वे बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मदद कर सके।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु शालाओं में बाधा रहित वातावरण निर्मित करने में शिक्षकों को प्रोत्साहित करना एवं उनकी संकल्पनाओं का निर्णय करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम अनुसार वास्तविक जूड का ही ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना तथा नियमित कक्षा के अतिरिक्त बच्चों के समझ हेतु पृथक प्रयास करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की नियमित उपस्थिति व ठहराव पर नजर रखना व योजना बनाकर उपाय बनाना एवं बच्चों के पालकों को उपयोगी सहयोग प्रदान कर उनके पालकों से सतत संपर्क में रहना।
- शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्या एवं समाधान के बारे में आवश्यक परामर्श देना तथा उनकी आवश्यकता के अनुकूल कक्षागत रणनीति व पाठ्यक्रम में उचित सुधार व सुझाव देना।
- विकासखण्ड में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर आधारित चलने वाले कार्यक्रम से फीडबैक लेकर सुधारात्मक उपाय बनाना।
- जनभागीदारी समिति (SMC&SMDC) में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जानकारी देना व उनके लिये निदानात्मक उपाय बनाकर लागू करना।
- रिसोर्स सेंटर में CWSN बच्चे जिन्हें थैरेपी की आवश्यकता हो उन्हें विशेष प्रशिक्षण एवं आवश्यक थैरेपी प्रदान करने में सहयोग करना तथा इस हेतु पालकों को प्रशिक्षित करना/जागरूक करना / सहयोग देना।
- भ्रमण के दौरान प्राप्त विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची तैयार कर उसकी आवश्यकता को पूरा कराने के लिए प्रयास करना एवं किये गये प्रयास की जानकारी संबंधित शाला / जनभागीदारी समिति / पालक को देना।
- सामान्य शिक्षकों को बेल-लिपि, सांकेतिक भाषा, 21 प्रकार की दिव्यांगता, चेक लिस्ट, शालाओं में बाधारहित वातावरण, पाठ्यक्रम अनुकूलन आदि का प्रशिक्षण देना।
- समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग से सतत संपर्क स्थापित करना व इन विभागों के द्वारा विशेष

७

आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से लाभान्वित करना ।

- प्रत्येक संकुल को कव्हर करना एवं इसकी सूचना पूर्व में संकुल समन्वयक को प्रदान करना जिससे उपस्थिति की सूचना शाला स्तर एवं पालकों तक पहुंचाया जा सके ।
- इसके अतिरिक्त समय-समय पर राज्य एवं जिला स्तर से दिये गये आदेश/निर्देशों के अनुसार कार्य करना ।

Damal

अध्यक्ष

भर्ती समिति एवं डिप्टी कलेक्टर
जिला द0ब0दंतेवाड़ा (छ0ग0)

पृ.क्र./.../समग्र शिक्षा/समावेशी शिक्षा/2023-24
प्रतिलिपि :-

दन्तेवाड़ा, दिनांक 26/12/2023

1. प्रबंध संचालक, राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा, जिला द.ब.दंतेवाड़ा को सादर सूचनार्थ ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत पदेन जिला परियोजना संचालक, समग्र शिक्षा, जिला द.ब.दंतेवाड़ा को सादर सूचनार्थ ।
4. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग जगदलपुर बस्तर को सूचनार्थ ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला द.ब.दंतेवाड़ा को सूचनार्थ ।
6. उप संचालक, जनसम्पर्क, जिला दंतेवाड़ा को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ ।
7. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला दंतेवाड़ा को सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त विस्तृत विज्ञापन जिले की वेबसाईट www.dantewada.gov-in में अपलोड किये जाने हेतु ।

Damal

अध्यक्ष

भर्ती समिति एवं डिप्टी कलेक्टर
जिला द0ब0दंतेवाड़ा (छ0ग0)